'डोनेट लाइफ' ये सब गतिविधियाँ क्यों आयोजित करता है ।

अंगदाता तथा प्राप्तकर्ता की संख्याओं में एक बहुत बड़ा अन्तर है, क्योंकि ढेर सारे अंग, जो किसी को नया जीवन देने में सक्षम हैं, व्यर्थ हो जाते हैं । इसकी वजह ज्यादातर लोगों का इस नेक कार्य में रुचि न लेना है ।

ज्यादातर अस्पताल, डॉक्टर्स, ट्रौमा सेन्टर्स तथा प्रत्यारोपण संस्थान प्रायः इस गतिविधि में सक्रिय रोल अदा करने में रुचि नहीं लेते, क्योंकि उनको इस प्रक्रिया में हितबद्ध (कोलिंग) मार्ट समझा लिया जाता है । इसी तरह से ब्रेनडेड रोगी के परिवार के सदस्य तथा उनके रिश्तेदार भी इस प्रक्रिया में ज्यादा रुचि नहीं लेते, क्योंकि उनमें से ज्यादातर को इस बारे में कोई जागरूकता नहीं होती या दुःख के उन क्षणों में वे इस बारे में सोच ही नहीं पाते ।

इस तरह के वातावरण में 'डोनेट लाइफ' के स्वयंसेवक रोगी के परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों को अंगदान के बारे में जागरूक करते हैं तथा उन्हें अंगदान द्वारा जीवन की निरन्तरता के बारे में समझाते हैं । अंगदान के बाद मामले को प्रत्यारोपण संस्थान को सौंप दिया जाता है जो आगे की प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं. ये गतिविधियाँ कैडेवर अंगदान की संख्या को तेजी से बढ़ाने तथा प्रत्यारोपण हेतु प्रतीक्षारत रोगियों की संख्या को कम करने में सहायता करती हैं। यह गतिविधि अंग प्रत्यारोपण की दिशा में सीधे तौर पर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में मदद करती है।

धार्मिक सिराक :

समूची दुनिया में इस तरह के दान अमूल्य माने जाते रहे हैं। इन्सान अंगदान द्वारा अपनी मृत्यु के बाद भी दूसरों के शरीर में जीवित रहता है । हर धर्म ने और हर धार्मिक गुरु ने इस नेक कार्य की प्रशंसा की है और इसे बढ़ावा दिया है ।

अंगदान से सम्बन्धित गतिविधियां समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में समरसता बढ़ाने तथा उसे मजबूत करने में सहायक रही हैं जिसके लिए हमारा देश युगों से प्रसिद्ध रहा है । अंगदान के द्वारा लोग अपनी जाति, सम्प्रदाय, धर्म या क्षेत्र की भावना को भुलाकर जीवनभर के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं । हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी (गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में) इस नेक कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की जब अगस्त २०१२ में गुजराती हिन्दू महिला की किडनी ने उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम लड़की को नई जिंदगी प्रदान की । इसी तरह से दिसम्बर २०१४ में, मुस्लिम खोजा समाज की एक युवा महिला की किडनी ने सिंधी परिवार के एक सत्रह वर्षीय लड़की को नया जीवन प्रदान किया । अब इन परिवारों के आपसी संबंध किसी भी दूसरे परिवार के संबंधों से ज्यादा घनिष्ठ और प्रगाढ़ हैं ।

आइए संकल्प करें

आइए, हम एक दूसरे के साथ उदारता एवं सदाशयता के साथ जुड़ें तथा अपनी मृत्यु के बाद दूसरों को नई जिंदगी देने का संकल्प लें । अंग प्रत्यारोपण २१वीं सदी की सच्चाई है । हम हमेशा ध्यान रखें कि एक अंगदाता कई लोगों की जिंदगियाँ बचा सकता है जो व्यक्ति, जिनकी किडनियां फेल हो गई हैं तथा कई अन्य जिन के हृदय, लिवर, पैंक्रियाज, फेफड़े, नेत्र आदि काम करने में असमर्थ हैं ।

हम कैडेवर अंगदान के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर तत्पश्चात उससे भी बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कटिबद्ध हैं तथा इस दिशा में प्रयासरत हैं । बस आपके प्यार, आशीर्वाद, आपकी दिलचस्पी और सहयोग की हमें जरूरत है जिसकी सहायता से हम और आप आने वाले समय में ढेर सारी जिन्दगियां बचा सकते हैं । आइए, अंगदान का संकल्प लें ।

YOUNGEST HEART DONOR & RECIPIENT IN WESTERN INDIA

SOMNATH SHAH'S HEART BEATING IN ARADHYA MULE

Late Diza Urvish Golwala

Surat's Three & Half year old Diza provides new lease of life to Shrey, Ritika & Gokulesh

डोनेट लाइफ ट्रस्टी

श्री निलेश मांडलेवाला, अध्यक्ष | श्री संदीप कुमार (आइ.आर.एस.), सह अध्यक्ष
श्री राकेश जैन, मानद मंत्री | श्री रमेश ... कोषाध्यक्ष
श्री हिरेन विवाल | श्री ... देसाई
श्री निर्मल कुमार बेताल

Opp. IDBI Bank, Near Kasanagar, Katargam,
Surat-395 004. Gujarat, India.
Cell : +91 - 75730 11101, 75730 11103
Email : info@donatelife.org.in | Web : www.donatelife.org.in

Registration No. E-7652 Dt. 04-12-2014
Donation Exempted U/s. 80(G)5 of I.T. Act 1961

Donate Life Trust | Toll Free Number : 1800 253 1944

Download Donate Life Trust Mobile App | IOS

" जीते जी रक्तदान, ब्रेनडेड के बाद, किडनी, लिवर, हृदयदान... "

केवल आप...
बचा सकते हैं एक जिंदगी

DONATE ORGANS - SAVE LIVES

अंगदान जीवनदान

जीवन... इसे आगे बढ़ाइए..... कहिए

हाँ
अंगदान को

हमारे बारेमें

'डोनेट लाइफ' एक अलाभ कारी संस्था है जिसे कैडेवर अंगदान तथा किडनी फेल होने की निरंतर बढ़ती हुई बीमारी के रोकथाम हेतु संस्थापित किया गया है। यह संस्था, बिना किसी वाणिज्यिक मंशा के, मानवता की सेवा हेतु कटिबद्ध है।

यह सर्वविदित है कि मानव जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसको सुरक्षित बनाए रखना ईश्वर के प्रति हर इन्सान का सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है।

अनुमानतः हमारे देश में करीब 20 लाख लोग किडनी फेल होने की बीमारी से पीड़ित हैं तथा हर वर्ष करीब 2 लाख ऐसे लोग इसमें जुड़ जाते हैं। यही स्थिति उन मामलों में भी है जो लिवर, पैंक्रियाज, नेत्र आदि से सम्बन्धित बीमारियों की यातना भोग रहे हैं।

इस तरह के अंग फेल हुए मरीजों की सहायता करने, उनमें उम्मीद जगाने और उन्हें नई जिंदगी देने हेतु, संस्था के अध्यक्ष श्री निलेश मांडलेवाला पहले से ही अपना जीवन इस नेक कार्य हेतु समर्पित कर चुके हैं। सन 2005 से ही वह अंगदान के कार्यक्रमों तथा इस अभियान को आगे बढ़ाने में मुख्य कारक रहे हैं। उन्होंने इस अभियान को ब्रेन डेड मरीजों द्वारा अंगदान से प्रारंभ किया और फेल हुए अंगों के पीड़ितों को नई जिंदगी देने का कार्य शुरू किया। इसी दृष्टिकोण, जुनून, विश्वसनीयता, कटिबद्धता तथा समर्पण की भावना के साथ श्री मांडलेवाला ने तमाम उपलब्धियां हासिल की जो मील का पत्थर साबित हुई।

उनकी इस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए, अब दिनांक 4 दिसंबर 2014 को, अन्य संस्थापक ट्रस्टी सदस्यों, जो कि शहर की विशिष्ट शख्सियतें जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, ऐडवोकेटस, बिजनेसमैन सर्वश्री सन्दीप कुमार भा.रा.से., राकेश जैन, हेमन्त देसाई, हिरेन दीवान, रमेश मालपानी एवं निर्मल सुखवैजल तथा अन्य ट्रस्टी सदस्यों एवं स्वयंसेवकों के सहयोग से इस संस्था को प्रारम्भ किया गया है।

05 जनवरी 2018 तक श्री निलेश मांडलेवाला और डोनेट लाईफ के प्रयास से 236 किडनी, 95 लिवर, 6 पैनक्रियास, 18 हार्ट और 198 नेत्र, ब्रेन डेड मरीजों के परिवारजनों से दान करवायें, जिनकी वजह से देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्र के कुल 548 लोगों को नया जीवन एवं नई दृष्टी प्रदान की।

कैडेवर किडनी दान के संबंध में

अपने देश में लगभग हर १० में से १ व्यक्ति फेल हुई किडनी से ग्रस्त है। लाखों लोग हर साल किडनी की बीमारी से हुई जटिलताओं के कारण असमय ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। कई बार किडनी के ९०% खराब होने तक शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। देश में प्रतिवर्ष लगभग ४००० किडनी प्रत्यारोपण होते हैं। इनमें से केवल १% कैडेवर प्रत्यारोपण होते हैं। अन्य अंगों के प्रत्यारोपण के क्षेत्रमें भी लगभग यही स्थिति है। यह बताना यहाँ प्रासंगिक है कि अंग प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है।

दक्षिण भारत एवं तमिलनाडु में पहली बार सूरत से मुंबई और चेन्नाइ इन्टरस्टेट हार्ट ट्रान्सफर एवं हार्ट ट्रान्सप्लान्ट करवाने का और गुजरातमें पहली बार हड्डीओंका दान करवाने का श्रेय भी संस्थाको जाता है।

Institute of Kidney Disease and Research Center (IKDRC) अहमदाबाद में हो रहे कैडेवरीक किडनी एवं लिवर ट्रान्सप्लान्ट में से ४५% ऑर्गन और मुंबई मुलुंडमें फोर्टीस होस्पीटल में हो रहे हार्ट ट्रान्सप्लान्ट में से २०% हार्ट ट्रान्सप्लान्ट करवाने का श्रेय भी डोनेट लाइफ को जाता है।

इस तरह से श्री निलेश मांडलेवाला के प्रयासों ने मानवता की सेवा की दिशा में एक विशाल कदम रखा है। हमारी यह संस्था 'डोनेट लाइफ' आयकर अधिनियम की धारा ८०जी (५) में भी पंजीकृत है।

हमारा मिशन

किडनी तथा लिवर फेल होने वाले मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए हमने दोतरफा लक्ष्य निर्धारित किया है – पहला, लोगों को इन बीमारियों के बारे में जागरूक करना तथा सुशिक्षित करना और दूसरा, उनको कैडेवर अंगदान द्वारा नई जिन्दगी प्रदान करना। हमारा मिशन यह भी है कि इस तरह के मरीजों को हर सम्भव सहायता प्रदान करें ताकि वे इन बीमारियों के कारण हुए भावनात्मक सदमें से अपने आप को उबार सके। लोगों को अंगदान हेतु प्रेरित करना, तैयार करना तथा इस बारे में उन्हें हर प्रकार की जानकारी देना भी हमारे मिशन में शामिल है।

'ब्रेन डेथ' क्या है ?

पीढ़ियों से, किसी व्यक्ति की मृत्यु की परिभाषा तथा उसके लक्षण बड़े सीधे और सरल रहे हैं – जब हृदय धड़कना बन्द कर दे तथा सांसे रूक जाएँ, व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब चिकित्सा पद्धति में तरक्की होने के साथ इस तरह के व्यक्तियों के शरीर को, धड़कते हृदय तथा सांसों के साथ, कृत्रिम रूप से जिन्दा रखा जा सकता है चाहे मस्तिष्क मृत होने के बाद शरीर को उपयुक्त संदेश देने में अक्षम ही क्यों न हो। परिणामस्वरूप, ब्रेन डेथ के रूप में सार्वभौमिक तौर पर एक चिकित्सकीय वैधानिक परिभाषा स्वीकृत की गई है जिसके अनुसार इस स्थिति में व्यक्ति के मस्तिष्क द्वारा निर्देशित सारे कार्य अपरिवर्तनीय रूप से बन्द हो जाते हैं जिसमें उसकी चेतना तथा सॉस लेने की क्षमता भी शामिल है। इस तरह का ब्रेन डेड व्यक्ति अपने सारे अंगों को दान दे सकता है जो प्रत्यारोपण द्वारा किसी दूसरे की जिन्दगी बचाने में सार्थक हो सकते हैं

कैडेवर अंगदान प्रोग्राम मे 'डोनेट लाइफ' की भूमिका

'डोनेट लाइफ' अंगदाता तथा प्राप्तकर्ता के बीच में एक माध्यम का काम करता है। अस्पतालों, उनके आइ.सी.यु, ट्रौमा सेन्टर्स आदि से 'ब्रेनडेड' घोषित रोगियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद 'डोनेट लाइफ' के कार्यकर्ता / स्वयंसेवक जाकर रोगी के परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों को कैडेवर अंगदान के बारे जागरूक करते हैं तथा अंगदान के लिए प्रेरित करते हैं।

रोगी के परिवार के सदस्यों / रिश्तेदारों की स्वीकृति मिलने पर अंग प्राप्ति तथा उसके आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ईंस्टीट्युट ऑफ किडनी डिसीज एण्ड रिसर्च सेन्टर (IKDRC), अहमदाबाद को सम्पर्क किया जाता है जिनकी टीम आगे की कार्यवाही पूर्ण करती है।

अंगदान के बाद भी 'डोनेट लाइफ' मृतक का पुलिस पंचनामा तथा पोस्टमार्टम कराने में सक्रिय भूमिका अदा करता है।

'डोनेट लाइफ' अंगदाता के शरीर को उचित स्थान (जैसे उसके घर, गांव या शहर) तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है

अंगदान कौन कर सकता है ?

हर व्यक्ति। प्रत्येक स्त्री या पुरूष चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा उम्र से सम्बंध रखता हो, अंगदान कर सकता है। केवल डॉक्टरों की प्रत्यारोपण टीम ही दान किए हुए अंगो की चिकित्सकीय उपयुक्तता के बारे मे निर्णय ले सकती है, वह भी जब उनके उपयोग का समय हो तब।

क्या अंगदान के बाद शरीर विकृत हो जाता है ?

बिलकुल नहीं। अंगो को व्यक्ति के शरीर से बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से निकाला जाता है तथा शरीर को बाहर से देखने में कोई अन्तर नहीं नजर आता। यह प्रक्रिया व्यक्ति के अन्तिम संस्कारो को सम्पन्न करने मे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती।

अंगो को कौन प्राप्त कर सकता है ?

इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है जो निम्नलिखित है –

- प्राप्तकर्ता को अपना नाम प्रत्यारोपण संस्था मे कैडेवर अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत कराना होता है।
- प्रत्यारोपण संस्था की कमेटी कुछ मानदंडों जैसे प्राप्तकर्ता की उम्र, उसकी रोजगार स्थिति, डायालिसिस की अवधि, पारिवारिक अंगदाता की उपलब्धता, पिछला कोई प्रत्यारोपण आदि को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निर्णय लेती है कि किस व्यक्ति को अंग प्रत्यारोपित किया जाए।
- सामान्यतः अंग का प्रत्यारोपण उस व्यक्ति में किया जाता है जिसको उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसी व्यक्ति की सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति अंग प्राप्तकर्ता के चयन हेतु कोई मायने नहीं रखती।

कैडेवर अंग दाता तथा प्राप्तकर्ता के नामों का खुलासा

हम कैडेवर अंग दाता तथा प्राप्तकर्ता के नामों का तथा उनका विवरण अगले ही दिन प्रिन्ट तथा विज़ुअल मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट तथा व्यक्तिगत रूप से अवश्य खुलासा करते है। यही नहीं, हम अंगदाता के परिवार को धन्यवाद देने हेतु 'फेलिसिटेशन प्रोग्राम' आयोजित करते है तथा उन्हे अंग प्राप्तकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यो के साथ आपस में मिलाते भी हैं। ये गतिविधियां समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रेरणा देती है कि वे आगे आएं और अंगदान के नेक कार्य में अपना योगदान दें।

अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कानून

होटा (HOTA) ह्युमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 (Human Organ Transplantation Act, 1994) कैडेवर अंगदान हेतु अनुमति प्रदान करता है।